



बिहार सरकार

स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

निबंधन संख्या—

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

1. आवेदक का नाम:—

2. आवेदक के पिता/पति का नाम:—

3. *लिंग:— पुरुष महिला तृतीय

4. जन्म तिथि:—
तिथि माह वर्ष

5. आवासीय पता:—

6. *कोटि— (1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जनजाति (3) अति पिछड़ा वर्ग
(4) पिछड़ा वर्ग (5) सामान्य

7. आधार कार्ड संख्या :—

यदि आधार कार्ड नहीं मिला है तो उसका पंजीयन संख्या (EID No.):—

8. बैंक की विवरणी:—

(1) बैंक एवं शाखा का नाम:—

(2) खाता संख्या:—

(3) IFSC कोड:—

9. मोबाईल न0:—

10. ई0-मेल आई0 डी0 :—

11. शैक्षणिक योग्यता:—

परीक्षा उत्तीर्ण	विद्यालय/संस्थान का नाम	बोर्ड/परिषद् का नाम	परीक्षा का अनुक्रमांक	उत्तीर्ण होने का वर्ष
इन्टरमीडियट (12वीं)				

*जो लागू हो उसे कर दें।

12. कुशल युवा प्रशिक्षण हेतु केन्द्र के चयन का विकल्प :-

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| (i) प्रशिक्षण हेतु प्रथम प्राथमिकता - | जिला का नाम | <input type="text"/> |
| | प्रखंड का नाम | <input type="text"/> |
| (ii) प्रशिक्षण हेतु द्वितीय प्राथमिकता - | जिला का नाम | <input type="text"/> |
| | प्रखंड का नाम | <input type="text"/> |
| (iii) प्रशिक्षण हेतु तृतीय प्राथमिकता - | जिला का नाम | <input type="text"/> |
| | प्रखंड का नाम | <input type="text"/> |

आवेदक की घोषणा

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी आयु आवेदन की तिथि को 20 से 25 वर्ष के बीच है।
2. मैं बिहार में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मात्र इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण हूँ एवं मैंने कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं की है, न ही कर रहा/रही हूँ।
3. मुझे कोई नियोजन अथवा स्वरोजगार नहीं है।
4. मुझे किसी भी सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति/कौशल विकास की सुविधा/क्रेडिट कार्ड/किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
5. मैं बिहार का स्थायी निवासी हूँ।
6. शैक्षणिक योग्यता, आयु, बिहार के स्थायी निवासी एवं बैंक में खाता होने के संबंध में मेरे द्वारा स्वभिप्रमाणित (I) इंटरमीडिएट का प्रमाण-पत्र, (II) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (III) स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र (iv) आधार कार्ड एवं (v) बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर दिया गया है।
7. मुझे जिस दिन से स्थायी/अस्थायी नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा अथवा भविष्य में मैं आवेदन के कडिका 1 से 4 में वर्णित किसी भी घोषणा का अनुपालन नहीं होने पर इसकी सूचना कार्यालय को देते हुए स्वरोजगार भत्ता का लाभ नहीं लूँगा/लूँगी।
8. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनायें सही हैं। यदि कोई सूचना जाँच के क्रम में गलत पाया जाता है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

कुशल युवा प्रशिक्षण से संबंधित घोषणा

मैं वचन देता/देती हूँ कि स्वयं सहायता भत्ता की स्वीकृति के पश्चात सरकार द्वारा प्रदत्त कुशल युवा का निःशुल्क प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करूँगा/करूँगी एवं प्रशिक्षण के लिए चयनित होने पर :-

- (i) सभी प्रशिक्षण सत्रों/कक्षाओं में उपस्थित रहूँगा/रहूँगी,
- (ii) अनुशासित होकर प्रशिक्षक के अनुदेशों का पालन करूँगा/करूँगी,
- (iii) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करूँगा/करूँगी एवं
- (iv) जबतक उक्त शर्तों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करूँगा/करूँगी मुझे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण प्रत्र प्राप्त नहीं होगा।

आधार कार्ड के उपयोग से संबंधित घोषणा

मैंने अपना आधार संख्या समर्पित किया है एवं मैं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता/देती हूँ कि:-

- (i) यू0आई0डी0ए0आई0 भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार/यू0आई0डी0 संख्या को मेरे नाम से संधारित आवेदन में वर्णित बैंक खाता संख्या के साथ जोड़ा जाय।

- (ii) इसे एनपीसीआई (National Payments Corporation of India) में दर्ज किया जाय, ताकि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत कोई लाभ मेरे उक्त खाता में प्राप्त हो सके। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि एक से अधिक प्रकार के लाभ बकाया हो तो मैं उस लाभ को इसी खाते में प्राप्त करना चाहूँगा/चाहूँगी।
- (iii) यूआईडीएआई द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित एवं स्थापित करने में उपयोग किया जाय।
- (iv) मेरे द्वारा आवेदन में अंकित मोबाईल संख्या को एसएमएस अलर्ट हेतु उपयोग में लायी जाय।
- (v) मैं समझता/समझती हूँ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना इसके साथ उपलब्ध करायी गयी है, उसे उपर्युक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायगा।

स्थान:-

तिथि:-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण अनुदेश :-

- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा आपको निबंधन केन्द्र पर आने की तिथि एवं समय **e-mail** तथा **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर इस आवेदन पत्र पर अपना फोटो चिपकाकर एवं हस्ताक्षर कर निम्न कागजातों की मूल प्रति एवं स्वभिप्रमाणित प्रति के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर उपस्थित होना है:-
 - 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र
 - 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि वर्णित हो
 - आवासीय प्रमाण-पत्र
 - किसी अनुसूचित बैंक में (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर) आवेदक के नाम से संधारित बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक शाखा का **IFSC** कोड स्पष्टतः अंकित हो।
 - आधार कार्ड/आधार कार्ड की पंजीयन संख्या (EID) की पावती
- किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त किया जा सकता है।

पावती रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री.....से स्वरोजगार भत्ता हेतु दिनांक को सभी वांछित अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र प्राप्त किया जिसका निबंधन संख्या है। आपके बैंक खाता को आधार संख्या से जोड़ने पर इसकी सूचना आपको भेजी जाएगी।

प्राप्तकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर